

कर्म अहंकार

न्यायालय जिला कलकट्टर पूर्व जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

शमशुलाल बनाम एस डी ओ कोटपुतली व अन्य

नौस संख्या 89/2021 (मुक्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
27.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राथी की अधिवक्ता उपस्थित है। प्राथी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली की पीदासीन अधिकारी श्रीमती सुनीता गीणा का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है।</p> <p>प्राथी अधिवक्ता को मीर से सूचित गया। पत्रावली का महीमांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राथी ने उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली के समक्ष विचारणीय प्रकरण संख्या 39/2021 व उपासी शमशुलाल बनाम मजिस्ट्रेट मुंई ताकूर जी व अन्य में पीदासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली की तत्कालीन पीदासीन अधिकारी श्रीमती सुनीता गीणा का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्राथी द्वारा प्रस्तुत यह मुक्तकिल प्रार्थना पत्र स्वत ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्राथी का मुक्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">27/9/21 (अन्तर सिंह मेहता) जिला कलकट्टर जयपुर</p>	